[2019] 2 उम. नि. प. 43

लोक प्रहरी, उसके महासचिव एस. एन. शुक्ला की मार्फत

बनाम

भारत का निर्वाचन आयोग और अन्य

26 सितम्बर, 2018

मुख्य न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति (डा.) डी. वाई. चन्द्रचूड़

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) – धारा 8 [सपठित संविधान, 1950 का अनुच्छेद 102 और 191 तथा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 389] – दोषसिद्धि पर संसद् सदस्यों/विधान सभा सदस्यों की निरर्हता – अपील के लंबित रहने तक दोषसिद्धि पर रोकादेश का प्रभाव – जब किसी संसद् सदस्य/विधान सभा सदस्य को कतिपय अपराधों के लिए दोषसिद्ध कर दिया जाता है और उसके विरुद्ध फाइल की गई अपील के लंबित रहने तक उसकी दोषसिद्धि पर रोक लगा दी जाती है तब वह निरर्हता, जो उस दोषसिद्धि के फलस्वरूप प्रवर्तित होती, प्रभावी नहीं रह सकती ।

प्रस्तुत मामले में, उत्तर प्रदेश राज्य में विधान सभा के एक तत्कालीन सदस्य को दंड संहिता की धारा 353, 504 और 506 के अधीन आने वाले अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया गया था और उसे कारावास से दंडादिष्ट किया गया था । अपील में, जिला न्यायालय ने दंडादेश और दोषसिद्धि के निष्पादन पर रोक लगा दी थी । याची ने, जो कि लोक शासन और प्रशासन से संबंधित उद्देश्यों के लिए सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत एक सोसायटी है, अपने महासचिव के माध्यम से, जो कि स्वयं उपस्थित हुए हैं, उच्च न्यायालय के समक्ष इस घोषणा की ईप्सा करते हुए एक लोक हित मुकदमा संस्थित किया कि विधान सभा सदस्य, सेशन न्यायाधीश द्वारा अनुदत्त रोक के होते हुए भी निरर्हित बना हुआ है । उच्च न्यायालय ने उस लोक हित मुकदमे को इस आधार पर खारिज कर दिया कि चूंकि

अपील न्यायालय ने दोषसिद्धि पर रोक लगा दी है इसलिए वह निरर्हता, जो अन्यथा लागू होगी, उस तारीख से प्रवर्तित नहीं होगी जिस तारीख को दोषसिद्धि पर रोक लगा दी गई है । वर्तमान लोक हित मुकदमे में संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता का अवलंब लिया है । उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – याची ने इस बात पर बल दिया है कि ससंद् या विधान सभा के किसी सदस्य द्वारा धारित स्थान संविधान के क्रमशः अनुच्छेद 102 या अनुच्छेद 191 के अधीन कोई निरर्हता उपगत किए जाने पर रिक्त हो जाता है । याची के अनुसार, जैसे ही अनुच्छेद 102(1)(ङ) या अनुच्छेद 191(1)(ङ) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के अधीन निरर्हता उपगत हो जाती है तो वह स्थान दोषसिद्धि की तारीख से रिक्त हो जाता है । याची ने यह दलील दी है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389 के अधीन अपील न्यायालय के पास दोषसिद्धि पर रोक लगाने की शक्ति नहीं है और वह केवल दंडादेश के निष्पादन पर ही रोक लगा सकता है । याची द्वारा यह दलील दी गई है कि संविधान या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में इस आशय का कोई उपबंध नहीं है कि अपील या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के पश्चात्वर्ती रोकादेश के कारण निरर्हता भूतलक्षी रूप से समाप्त हो जाएगी और सिद्धदोष ठहराए गए संसद् या विधान सभा के किसी सदस्य की सदस्यता, दोषसिद्धि की तारीख से रिक्ति उत्पन्न हो जाने के बावजूद पुनरुज्जीवित हो जाएगी । इस बात पर जोर दिया गया है कि किसी सांविधानिक या कानूनी उपबंध के अभाव में, दोषसिद्धि पर रोक केवल भविष्यलक्षी रूप से प्रवर्तित हो सकती है जिससे कि किसी व्यक्ति को पुनः निर्वाचन लड़ने के लिए समर्थ बनाया जा सके चूंकि विधान सभा सदस्य की सदस्यता दोषसिद्धि की तारीख से तुरंत समाप्त हो जाती है । (पैरा 4 और 5)

अपील न्यायालय को किसी समुचित मामले में दंडादेश को निलंबित करने के अलावा धारा 389 के अधीन दोषसिद्धि पर रोक लगाने की शक्ति है । दोषसिद्धि पर रोक लगाने की शक्ति एक अपवाद के तौर पर

है । इससे पूर्व कि इस शक्ति का प्रयोग किया जाए, अपील न्यायालय को उन परिणामों से अवश्य ही अवगत कराया जाना चाहिए, जो उस दशा में उत्पन्न होंगे यदि दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगाई जाती है । जैसे ही अपील न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर रोक लगा दी जाती है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), (2) और (3) के अधीन निरर्हता प्रवर्तित नहीं होगी । अनुच्छेद 102(1)(ङ) और अनुच्छेद 191(1)(ङ) के अधीन निरर्हता संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन प्रवर्तित होती है । धारा 8 के उपर्युक्त उपबंधों के अधीन निरर्हता सूचीबद्ध अपराधों में से किसी अपराध के संबंध में दोषसिद्ध किए जाने पर लागू होती है । जब किसी अपील के लंबित रहने के दौरान दोषसिद्धि पर रोक लगा दी जाती है तब वह निरर्हता जो दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप प्रवर्तित होती है, प्रभावी नहीं हो सकती या प्रभावी नहीं रह सकती । अपील न्यायालय में दोषसिद्धि पर रोक लगाने के लिए निहित प्राधिकार से यह सुनिश्चित होता है कि असमर्थनीय या तुच्छ आधारों पर की गई दोषसिद्धि गंभीर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए प्रवर्तित नहीं होती है । (पैरा 14)

न्याय विभाग के सचिव द्वारा उच्च न्यायालयों के महा-रजिस्ट्रारों को ऐसा कोई निदेश जारी नहीं किया जा सकता है कि सभी जिला और सेशन न्यायाधीशों को यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त अनुदेश जारी किए जाएं कि संविधान के अनुच्छेद 102/191 के अधीन किसी आसीन संसद् सदस्य/विधान सभा सदस्य/विधान परिषद् के सदस्य की निरर्हता से संबंधित मामलों में के निर्णयों की दो प्रमाणित प्रतियां, दंडादेश के संबंध में आदेश के परिदान से 24 घंटे के भीतर राज्य के काउन्सेल को संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करने के लिए उपलब्ध कराई जाएं । इसके अतिरिक्त, ई-न्यायालय परियोजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप, निर्णयों की प्रमाणित प्रतियां समस्त न्यायालयों को एक सुव्यवस्थित रीति में उपलब्ध कराई जाती हैं । भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा फाइल किए गए शपथपत्र से यह उपदर्शित होता है कि आयोग ने समस्त राज्यों के मुख्य सचिवों को यह सुनिश्चित करने के लिए पहले ही तारीख 13 अक्तूबर, 2015 को अनुदेश जारी किए जा चुके हैं कि दोषसिद्धि के आदेश की जानकारी सदन के यथास्थिति, सभापति या अध्यक्ष तथा राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को, आदेश

पारित किए जाने से सात दिन की अवधि के भीतर देने के आवश्यक कदम उठाए जाएं । निर्वाचन आयोग को विधि के अनुसार समुचित कदम उठाने की पर्याप्त शक्ति प्राप्त है । इस संबंध में कोई अतिरिक्त निदेश देना आवश्यक नहीं है । (पैरा 16)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2013]	(2013) 7 एस. सी. सी. 653 : **लिली थॉमस** बनाम **भारत संघ ;**	6, 13, 14
[2007]	ए. आई. आर. 2007 एस. सी. 1003 : **नवजोत सिंह सिद्धू** बनाम **पंजाब राज्य ;**	11
[2007]	(2007) 1 एस. सी. सी. 673 : **रविकांत एस. पाटिल** बनाम **सर्वभौम एस. बगली ;**	12, 13, 14
[2003]	(2003) 12 एस. सी. सी. 432 : **महाराष्ट्र राज्य** बनाम **गजानन ;**	12
[2001]	(2001) 7 एस. सी. सी. 231 : **बी. आर. कपूर** बनाम **तमिलनाडु राज्य ;**	4, 12
[2001]	(2001) 6 एस. सी. सी. 584 : **के. सी. सरीन** बनाम **केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, चंडीगढ़ ;**	12
[1996]	(1996) 5 एस. सी. सी. 329 : **तमिलनाडु राज्य** बनाम **ए. जगननाथन ;**	12
[1995]	(1995) 2 एस. सी. सी. 513 : **रामा नारंग** बनाम **रमेश नारंग ।**	10, 14

आरंभिक (सिविल) अधिकारिता : 2016 की रिट याचिका (सिविल) सं. 330.

संविधान, 1950 के अनुच्छेद 32 के अधीन रिट याचिका ।

प्रत्यर्थियों की ओर से सर्वश्री मनिन्दर सिंह, अपर महासालिसिटर, आर. बालासुब्रमण्यन, नलिन कोहली, प्रभास बजाज, (सुश्री) आरती शर्मा, अंकित राय, इन्द्रजीत सिंह. मुकेश कुमार मरोरिया, मोहित डी. राम, (सुश्री) मोनिषा हांडा, एस. एस. शमशेरी, अमित शर्मा, अंकित राज, (सुश्री) इंदिरा भाकर, आर. सी. कोहली, निशांत रामाकांतराव कटनेश्वरकर, (सुश्री) दीपा एम. कुलकर्णी और (सुश्री) सुवर्णा गनु

याची की ओर से स्वयं

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति (डा.) डी. वाई. चन्द्रचूड़ ने दिया ।

न्या. (डा.) चन्द्रचूड़ – याची-लोक प्रहरी, लोक शासन और प्रशासन से संबंधित उद्देश्यों के लिए सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत एक सोसायटी है । उसने अपने महासचिव के माध्यम से, जो कि स्वयं उपस्थित हुए हैं, वर्तमान लोक हित मुकदमे में संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन इस न्यायालय की अधिकारिता का अवलंब लिया है । इसमें अन्य अनुतोषों के साथ-साथ निम्नलिखित अनुतोषों की ईप्सा की गई है :–

> "1. यह घोषणा करना कि चूंकि विधि में दोषसिद्धि पर रोक लगाने का उपबंध नहीं है, इसलिए अपील न्यायालय द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के अधीन निरर्हता से संबंधित किसी अपराध के अधीन दोषसिद्धि पर रोक लगाने की दशा में भी ऐसे किसी रोकादेश का प्रभाव निरर्हता को समाप्त करना और सदस्यता को भूतलक्षी प्रभाव से पुनरुज्जीवित करना नहीं होगा और परिणामस्वरूप संबंधित सदस्य के स्थान के बारे में यह समझा जाएगा कि वह संविधान के अनुच्छेद 101(3)(क) और

अनुच्छेद 190(3)(क) के निबंधनानुसार दोषसिद्धि की तारीख से रिक्त हो गया था ।

2. यह घोषणा करना कि ऊपर मद 1 के अनुसार घोषणा किए जाने के फलस्वरूप संसद् या राज्य विधान सभा का कोई भी ऐसा सदस्य, जो अनुच्छेद 102(1)(ङ) या अनुच्छेद 190(1)(ङ) में उल्लिखित निरर्हता के अध्यधीन हो जाता है, अपील/पुनरीक्षण न्यायालय के किसी ऐसे आदेश के होते हुए भी, जिसका तात्पर्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 में उल्लिखित निरर्हता वाले किसी अपराध से संबंधित उसकी दोषसिद्धि पर रोक लगाना है, अनुच्छेद 104/193 के अधीन शास्ति के लिए दायी होगा ।

3. प्रत्यर्थी सं. 1 को परमादेश की प्रकृति की रिट, आदेश या निदेश जारी करना कि वह दंडादेश से संबंधित निर्णय और आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर संबंधित संसद् सदस्य/विधान सभा सदस्य/विधान परिषद् सदस्य की लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(1)(2) और (3) के अधीन किसी अपराध के लिए उसकी निरर्हता के परिणामस्वरूप उसकी दोषसिद्धि की तारीख से निरर्हता और उसके स्थान की पारिणामिक रिक्ति के संबंध में अधिसूचना जारी करे ।

4. प्रत्यर्थी सं. 1 को परमादेश की प्रकृति की रिट, आदेश या निदेश जारी करना कि वह अपील/पुनरीक्षण न्यायालय के ऐसे किसी आदेश को अनदेखा करते हुए जिसका तात्पर्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 में उल्लिखित निरर्हता वाले किसी अपराध से संबंधित दोषसिद्धि पर रोक लगाना है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 151 के अनुसार संसद्/राज्य विधान सभा के किसी सदस्य के स्थान की रिक्ति को भरने की कार्रवाई सुनिश्चित करे ।....."

2. उत्तर प्रदेश राज्य में विधान सभा के एक तत्कालीन सदस्य को दंड संहिता की धारा 353, 504 और 506 के अधीन आने वाले अपराधों

के लिए दोषसिद्ध किया गया था और उसे कारावास से दंडादिष्ट किया गया था । अपील में, जिला न्यायालय ने दंडादेश और दोषसिद्धि के निष्पादन पर रोक लगा दी ।

3. याची ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष इस घोषणा की ईप्सा करते हुए एक लोक हित मुकदमा संस्थित किया कि विधान सभा सदस्य, सेशन न्यायाधीश द्वारा अनुदत्त रोक के होते हुए भी निरर्हित बना हुआ है । उच्च न्यायालय ने उस लोक हित मुकदमे को इस आधार पर खारिज कर दिया कि चूंकि अपील न्यायालय ने दोषसिद्धि पर रोक लगा दी है इसलिए वह निरर्हता, जो अन्यथा लागू होगी, उस तारीख से प्रवर्तित नहीं होगी जिस तारीख को दोषसिद्धि पर रोक लगा दी गई है ।

4. याची ने इस बात पर बल दिया है कि संसद् या विधान सभा के किसी सदस्य द्वारा धारित स्थान क्रमशः अनुच्छेद 102 या अनुच्छेद 191 के अधीन कोई निरर्हता उपगत किए जाने पर रिक्त हो जाता है । याची के अनुसार, जैसे ही अनुच्छेद 102(1)(ङ) या अनुच्छेद 191(1)(ङ) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के अधीन निरर्हता उपगत हो जाती है तो वह स्थान दोषसिद्धि की तारीख से रिक्त हो जाता है । याची ने **बी. आर. कपूर** बनाम **तमिलनाडु राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय का अवलंब लेते हुए यह दलील दी है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389 के अधीन अपील न्यायालय के पास दोषसिद्धि पर रोक लगाने की शक्ति नहीं है और वह केवल दंडादेश के निष्पादन पर ही रोक लगा सकता है । संविधान के अनुच्छेद 102 में इस प्रकार उपबंधित है :-

> "102(1) कोई व्यक्ति संसद् के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा –
>
> (क) यदि वह भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन, ऐसे पद को छोड़कर, जिसको धारण करने वाले का निरर्हित न होना संसद् ने विधि द्वारा घोषित किया है, को लाभ का पद

---

[1] (2001) 7 एस. सी. सी. 231.

धारण करता है;

(ख) यदि वह विकृतचित्त है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है;

(ग) यदि वह अननुमोचित दिवालिया है;

(घ) यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है या वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुषक्ति को अभिस्वीकार किए हुए हैं;

(ङ) यदि वह संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित कर दिया जाता है ।

स्पष्टीकरण – इस खंड के प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति केवल उस कारण भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का या ऐसे राज्य का मंत्री है ।

(2) कोई व्यक्ति संसद् के किसी सदन का सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा यदि वह दसवीं अनुसूची के अधीन इस प्रकार निरर्हित हो जाता है ।"

संविधान के अनुच्छेद 191 में किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् की सदस्यता के लिए समरूप निबंधनों में निरर्हता का उपबंध किया गया है ।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 का सुसंगत उपबंध निम्नलिखित रूप में है :–

"8. कतिपय अपराधों के लिए दोषसिद्धि पर निरर्हता –

(1) निम्नलिखित के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया व्यक्ति, जहां सिद्धदोष ठहराया गया व्यक्ति –

(i) केवल जुर्माने से दंडादिष्ट किया जाता है, वहां ऐसी

दोषसिद्धि की तारीख से छह वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

(ii) कारावास से दंडादिष्ट किया जाता है, वहां ऐसी दोषसिद्धि की तारीख से निरर्हित होगा और उसके छोड़े जाने से छह वर्ष की अतिरिक्त कालावधि के लिए निरर्हित बना रहेगा, अर्थात् –

(क) भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 153क (धर्म, मूलवंश, जन्म-स्थान, निवास-स्थान, भाषा इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करने का अपराध) या धारा 171ङ (रिश्वत का अपराध) या धारा 171च (निर्वाचनों में असम्यक् असर डालने या प्रतिरूपण का अपराध) या धारा 376 की उपधारा (1) या उपधारा (2) या धारा 376क या धारा 376ख या धारा 376ग या धारा 376घ (बलात्संग से संबंधित अपराध), या धारा 498क (किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करने का अपराध) या धारा 505 की उपधारा (2) या उपधारा (3) या (विभिन्न वर्गों में शत्रुता, घृणा या वैमनस्य पैदा या संप्रवर्तित करने वाले कथन अथवा किसी पूजा के स्थान में या किसी जमाव में, जो धार्मिक पूजा या धार्मिक कर्म करने में लगा हुआ हो, ऐसा कथन करने से संबंधित अपराध);

(ख) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 का 22) जो "अस्पृश्यता" का प्रचार और आचरण करने और उससे उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करने के लिए दंड का उपबंध करती है; या

(ग) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) (प्रतिषिद्ध माल का आयात या निर्यात करने का अपराध); या

(घ) विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 10 से धारा 12 तक (विधिविरुद्ध घोषित किए गए किसी संगम का सदस्य होने का अपराध, किसी विधिविरुद्ध संगम की निधियों के बरतने से संबंधित अपराध या

किसी अधिसूचित स्थान के संबंध में किए गए आदेश के उल्लंघन से संबंधित अपराध; या

(ङ) विदेशी मुद्रा (विनियमन) अधिनियम, 1973 (1973 का 46); या

(च) स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61); या

(छ) आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987 (1987 का 28) की धारा 3 (आतंकवादी कार्य करने का अपराध) या धारा 4 (विध्वंसकारी क्रियाकलाप करने का अपराध); या

(ज) धार्मिक संस्था (दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1988 (1988 का 41) की धारा 7 (धारा 3 से धारा 6 तक के उपबंधों के उल्लंघन का अपराध); या

(झ) इस अधिनियम की धारा 125 (निर्वाचन के संबंध में वर्गों के बीच शत्रुता संप्रवर्तित करने का अपराध) या धारा 135 (मतदान केन्द्रों से मतपत्रों को हटाने का अपराध) या धारा 135क (बूथों के बलात् ग्रहण का अपराध) या धारा 136 की उपधारा (2) का खंड (क) (किसी नामनिर्देशन को कपटपूर्वक विरूपित करने या कपटपूर्वक नष्ट करने का अपराध; या

(ञ) उपासना स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991 की धारा 6 (किसी उपासना स्थल के संपरिवर्तन का अपराध); या

(ट) राष्ट्र-गौरव अपमान-निवारण अधिनियम, 1971 (1971 का 69) की धारा 3 (भारतीय राष्ट्रीय ध्वज या भारत के संविधान का अपमान करने का अपराध) या धारा 3 (राष्ट्रगान के गायन को रोकने का अपराध); या

(ठ) सती (निवारण) अधिनियम, 1987 (1988 का 3); या

(ड) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49); या

(ढ) आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002 (2002 का 15) ।

(2) कोई व्यक्ति जो –

(क) जमाखोरी या मुनाफाखोरी का निवारण करने का उपबंध करने वाली किसी विधि; या

(ख) खाद्य या ओषधि के अपमिश्रण से संबंधित किसी विधि; या

(ग) दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का 28) के किन्हीं उपबंधों

के उल्लंघन के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है और छह मास से अन्यून के कारावास से दंडादिष्ट किया गया है, वह ऐसी दोषसिद्धि की तारीख से निरर्हित होगा और अपने छोड़े जाने से छह वर्ष की अतिरिक्त कालावधि के लिए निरर्हित बना रहेगा ।

(3) कोई व्यक्ति, जो उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी अपराध से भिन्न किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है और दो वर्ष से अन्यून के कारावास से दंडादिष्ट किया गया है, ऐसी दोषसिद्धि की तारीख से निरर्हित होगा और उसे छोड़े जाने से छह वर्ष की अतिरिक्त कालावधि के लिए निरर्हित बना रहेगा ।"

5. याची द्वारा यह दलील दी गई है कि संविधान या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में इस आशय का कोई उपबंध नहीं है कि अपील या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के पश्चात्वर्ती रोकादेश के कारण निरर्हता भूतलक्षी रूप से समाप्त हो जाएगी और सिद्धदोष ठहराए गए संसद् या विधान सभा के किसी सदस्य की सदस्यता, दोषसिद्धि की तारीख से रिक्ति उत्पन्न हो जाने के बावजूद पुनरुज्जीवित हो जाएगी । इस बात पर जोर दिया गया है कि किसी सांविधानिक या कानूनी उपबंध के अभाव में, दोषसिद्धि पर रोक केवल भविष्यलक्षी रूप से प्रवर्तित हो सकती है जिससे कि किसी व्यक्ति को पुनः निर्वाचन लड़ने के लिए समर्थ बनाया जा सके चूंकि विधान सभा सदस्य की सदस्यता दोषसिद्धि की तारीख से तुरंत समाप्त हो जाती है ।

6. भारत के निर्वाचन आयोग की और से, प्रस्तुत कार्यवाहियों के प्रत्युत्तर में तारीख 10 अप्रैल, 2015 को यह कथन करते हुए एक प्रति-शपथपत्र फाइल किया गया है कि :-

(i) भारत का निर्वाचन आयोग प्रस्तुत लोक हित मुकदमे में की गई प्रथम प्रार्थना का समर्थन करता है;

(ii) भारत के निर्वाचन आयोग ने तारीख 13 अक्तूबर, 2015 को अनुदेश जारी किए हैं, जिनके द्वारा उसने मुख्य सचिवों से राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में अभियोजनों के संबंध में कार्यवाही करने वाले विभाग को इस संबंध में समुचित अनुदेश जारी करने की अपेक्षा की है कि वे यह सुनिश्चित करें कि संसद् या राज्य विधान सभा के आसीन सदस्यों की दोषसिद्धि के मामलों को, दोषसिद्धि के आदेश सहित, आदेश के सात दिन के भीतर, सदन के अध्यक्ष या सभापति और मुख्य निर्वाचन अधिकारी की जानकारी में लाया जाए;

(iii) लिली थॉमस **बनाम** भारत संघ (2013) 7 एस. सी. सी. 653 वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय में यह मत व्यक्त किया गया था कि सिद्धदोष ठहराए जाने पर निरर्हता स्वतः ही हो जाती है और विधान सभा के सदस्य को अपील के उपचार का प्रयोग करने का अवसर देने के आधार पर निरर्हता के प्रभाव को मुल्तवी करने का कोई प्रश्न उद्भूत नहीं होता है तथा बाद में दोषसिद्धि पर लगाई गई रोक निरर्हता को भूतलक्षी रूप से समाप्त नहीं कर सकती; और

(iv) उस स्थान को, जो रिक्त हो गया है, भरने के प्रयोजनार्थ अनुच्छेद 103 और अनुच्छेद 192 के अधीन राष्ट्रपति या राज्यपाल के विनिश्चय की प्रतीक्षा करना आवश्यक नहीं होगा । दोषसिद्धि के कारण उद्भूत होने वाली निरर्हता के प्रश्न पर राष्ट्रपति या राज्यपाल के किसी विनिश्चय की आवश्यकता नहीं होती है । पी. वी. नरसिम्हा राव **बनाम** राज्य (केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो/विशेष पुलिस स्थापन) (1998) 4 एस. सी. सी. 626 वाले विनिश्चय को ध्यान में रखते हुए, निरर्हता से संबंधित केवल 'विवादित' प्रश्न ही राष्ट्रपति या राज्यपाल को निर्देशित किया जाना होता है ।"

7. संघ सरकार ने इस याचिका का विरोध किया है । प्रति-शपथपत्र में, जो कि विधि और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग में सचिव की मार्फत भारत संघ की ओर से फाइल किया गया है, यह निवेदन किया गया है कि प्रस्तुत याचिका में उठाए गए विवाद्यकों पर **लिली थॉमस** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय में विचार और विनिश्चय किया जा चुका है । इसके अतिरिक्त, यह निवेदन किया गया है प्रस्तुत याचिका में अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी उपबंध को प्रश्नगत नहीं किया गया है । याची ने सिद्धदोष ठहराए जाने पर निरर्हता से संबंधित विषय पर केवल विधि के उपबंधों और न्यायिक निर्णयों का ही अवलंब लिया है ।

8. प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा फाइल किए गए प्रति-शपथपत्र के उत्तर में याची द्वारा यह कथन करते हुए तारीख 20 फरवरी, 2017 का एक प्रत्युत्तर फाइल किया गया है कि :-

> (i) निर्वाचन आयोग की भूमिका किसी आसीन विधायक को सिद्धदोष ठहराए जाने पर तुरंत आरंभ हो जाती है । निर्वाचन आयोग के लिए विधायी निकाय के सचिवालय से निरर्हता और स्थान रिक्त होने से संबंधित अधिसूचना प्राप्त होने की प्रतीक्षा करना आवश्यक नहीं है; और
>
> (ii) संविधान के अनुच्छेद 101(3)(2) और अनुच्छेद 190(3)(क) में इस स्पष्ट उपबंध को ध्यान में रखते हुए कि सिद्धदोष ठहराए जाने पर स्थान रिक्त हो जाता है, स्थान रिक्त होने के संबंध में किसी अधिसूचना की कोई विधिक अपेक्षा विद्यमान नहीं है ।

9. द्वितीय प्रत्यर्थी द्वारा फाइल किए गए प्रति-शपथपत्र के उत्तर में याची द्वारा तारीख 10 नवम्बर, 2017 का एक प्रत्युत्तर यह निवेदन करते हुए फाइल किया गया है कि दोषसिद्धि पर रोक लगाने के पश्चात् सदस्यता को भूतलक्षी रूप से पुनरुज्जीवित करने से सिद्धदोष ठहराए गए संसद् सदस्यों/विधान सभा सदस्यों/विधान परिषद् के सदस्यों द्वारा दोषसिद्धि पर रोकादेश प्राप्त करने के लिए अपील/पुनरीक्षण न्यायालय में

समावेदन करने की बाढ़ आ जाएगी जिससे कि वे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(4) के संरक्षण के बिना भी सदस्य बने रहने में समर्थ हो सकें ।

10. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 389 अपील न्यायालय को किसी दोषसिद्ध व्यक्ति द्वारा की गई अपील के लंबित रहने तक और ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किए जाएं, आदेश देने के लिए सशक्त करती है कि उस दंडादेश या आदेश का निष्पादन, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, निलंबित किया जाए । धारा 389 निम्न प्रकार है :–

> "**अपील लंबित रहने तक दंडादेश का निलंबन; अपीलार्थी का जमानत पर छोड़ा जाना** – (1) अपील न्यायालय, ऐसे कारणों से, जो उसके द्वारा अभिलिखित किए जाएंगे, आदेश दे सकता है कि उस दंडादेश या आदेश का निष्पादन, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, दोषसिद्ध व्यक्ति द्वारा की गई अपील के लंबित रहने तक निलंबित किया जाए और यदि वह व्यक्ति परिरोध में है तो यह भी आदेश दे सकता है कि उसे जमानत पर या उसके अपने बंधपत्र पर छोड़ दिया जाए ।
>
> (2) अपील न्यायालय को इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग उच्च न्यायालय भी किसी ऐसी अपील के मामले में कर सकता है जो किसी दोषसिद्ध व्यक्ति द्वारा उसके अधीनस्थ न्यायालय में की गई है ।
>
> (3) जहां दोषसिद्ध व्यक्ति ऐसे न्यायालय का, जिसके द्वारा वह दोषसिद्ध किया गया है, यह समाधान कर देता है कि वह अपील प्रस्तुत करना चाहता है वहां वह न्यायालय, –
>
> (i) उस दशा में जब ऐसा व्यक्ति जमानत पर होते हुए, तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है, या
>
> (ii) उस दशा में जब वह अपराध, जिसके लिए ऐसा व्यक्ति दोषसिद्ध किया गया है, जमानतीय है और वह जमानत पर है,

यह आदेश देगा कि दोषसिद्ध व्यक्ति को इतनी अवधि के लिए जितनी से अपील प्रस्तुत करने और उपधारा (1) के अधीन अपील न्यायालय के आदेश प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा, जमानत पर छोड़ दिया जाए जब तक कि जमानत से इनकार करने के विशेष कारण न हों और जब तक वह ऐसे जमानत पर छूटा रहता है तब तक कारावास का दंडादेश निलंबित समझा जाएगा ।

(4) जब अंततोगत्वा अपीलार्थी को किसी अवधि के कारावास या आजीवन कारावास का दंडादेश दिया जाता है तब वह समय, जिसके दौरान वह ऐसा छूटा रहता है, उस अवधि की संगणना करने में, जिसके लिए उसे ऐसा दंडादेश दिया गया है, हिसाब में नहीं लिया जाएगा ।"

रामा नारंग बनाम **रमेश नारंग**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने इस विवाद्यक की परीक्षा की थी कि क्या न्यायालय के पास धारा 389(1) के अधीन किसी दोषसिद्धि को निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है । इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि दोषसिद्धि का कोई आदेश अपने आप में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन निष्पादन योग्य नहीं है । किन्तु कतिपय स्थितियों में, यह अन्य अधिनियमितियों के अधीन किसी निरर्हता में परिणत होने पर सीमित अर्थ में निष्पाद्य हो सकता है । अतः, ऐसी दशा में, दोषसिद्धि पर रोक लगाने के लिए भी धारा 389(1) के अधीन शक्ति का अवलंब लेना अनुज्ञेय था । इस न्यायालय ने निम्न प्रकार अभिनिर्धारित किया :–

"19. अब हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं कि क्या संहिता की धारा 389(1) की परिधि अपील न्यायालय को दोषसिद्धि के आदेश के प्रवर्तन पर रोक लगाने की शक्ति प्रदत्त करने तक विस्तारित होती है । जैसा कि पहले कथन किया गया है, यदि दोषसिद्धि के आदेश की परिणति कंपनी अधिनियम की धारा 267 में उल्लिखित प्रकार की निरर्हता में होती है तो हमें इस बारे में

---

[1] (1995) 2 एस. सी. सी. 513.

कोई कारण प्रतीत नहीं होता है कि हम संहिता की धारा 389(1) का, न्यायालय को किसी उपयुक्त मामले में उस आशय का आदेश अनुदत्त करने से विवर्जित करने वाला संकीर्ण अर्थान्वयन क्यों करना चाहिए । धारा 374 के अधीन अपील आवश्यक रूप से दोषसिद्धि के आदेश के विरुद्ध होती है क्योंकि दंडादेश का आदेश मात्र उसका पारिणामिक है; हालांकि दंडादेश के आदेश को भी स्वतंत्र रूप से चुनौती दी जा सकती है यदि वह कठोर और स्थापित दोषिता के अननुपात में है । अतः, जब संहिता की धारा 374 के अधीन कोई अपील फाइल की जाती है तब वह अपील दोषसिद्धि और दंडादेश दोनों के विरुद्ध होती है और इसलिए हम संहिता की धारा 389(1) का इतना संकीर्ण निर्वचन करने का कोई कारण नहीं पाते हैं कि उसे दोषसिद्धि के आदेश तक विस्तारित न किया जाए हालांकि वर्तमान मामले में वह विवाद्यक पार्श्व में चला गया है क्योंकि उच्च न्यायालय संहिता की धारा 482 के अधीन अपनी अंतर्निहित अधिकारिता का प्रयोग कर सकते हैं यदि ऐसी शक्ति संहिता की धारा 389(1) में नहीं पाई जाती है ।"

11. **नवजोत सिंह सिद्धू** बनाम **पंजाब राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के दो विद्वान न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने यह अभिनिर्धारित किया है कि किसी अपील न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के आदेश पर रोक एक अपवाद है जिसका अवलंब किसी विरले मामले में अपील न्यायालय का ध्यान उन परिणामों के प्रति दिलाने के पश्चात् लिया जा सकता है, जो कि तब उत्पन्न होंगे यदि दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगाई गई । इस न्यायालय ने निम्न प्रकार अभिनिर्धारित किया :–

"अतः, विधिक स्थिति स्पष्ट है कि अपील न्यायालय दोषसिद्धि के आदेश को निलंबित कर सकता है या उस पर रोक लगा सकता है । किन्तु दोषसिद्धि पर रोक की ईप्सा करने वाले व्यक्ति को अपील न्यायालय का ध्यान विनिर्दिष्ट रूप से उन परिणामों की ओर दिलाना चाहिए जो तब उद्भूत हो सकते हैं यदि

---

[1] ए. आई. आर. 2007 एस. सी. 1003.

दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगाई गई । जब तक न्यायालय का ध्यान उन विनिर्दिष्ट परिणामों के प्रति नहीं दिलाया जाता है जो दोषसिद्धि के कारण उत्पन्न होंगे तब तक दोषसिद्ध व्यक्ति दोषसिद्धि का रोकादेश प्राप्त नहीं कर सकता है । इसके अलावा, दोषसिद्धि पर रोकादेश अनुदत्त करने का अवलंब मामले के विशेष तथ्यों के आधार पर विरले मामलों में ही लिया जा सकता है ।"

12. इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ द्वारा **रविकांत एस. पाटिल** बनाम **सर्वभौम एस. बगली**[1] वाले मामले में, इस मुद्दे पर पूर्ववर्ती विनिश्चयों, अर्थात्, **रामा नारंग** बनाम **रमेश नारंग** (उपर्युक्त), **तमिलनाडु राज्य** बनाम **ए. जगननाथन**[2], **के. सी. सरीन** बनाम **केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, चंडीगढ़**[3], **बी. आर. कपूर** बनाम **तमिलनाडु राज्य** (उपर्युक्त) और **महाराष्ट्र राज्य** बनाम **गजानन**[4] वाले विनिश्चयों का उल्लेख करने के पश्चात्, उपर्युक्त स्थिति पर जोर दिया गया था । इस न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में निष्कर्ष निकाला :–

"यह स्पष्ट किए जाने योग्य है कि दोषसिद्धि पर रोकादेश अनुदत्त करने वाला आदेश नियम नहीं है बल्कि यह एक ऐसा अपवाद है जिसका अवलंब मामले के तथ्यों के आधार पर विरले मामलों में ही लिया जा सकता है । जहां दंडादेश के निष्पादन पर रोक लगाई जाती है वहां दोषसिद्धि प्रवर्तित बनी रहती है । किन्तु जहां दोषसिद्धि पर ही रोक लगा दी जाती है वहां उसका प्रभाव यह होता है कि दोषसिद्धि रोकादेश की तारीख से प्रवर्तनीय नहीं होगी । निस्संदेह, रोकादेश के कारण दोषसिद्धि अस्तित्वहीन नहीं हो जाती है बल्कि वह केवल अप्रवर्तनीय हो जाती है । बहरहाल, जहां तक प्रस्तुत मामले का संबंध है, विनिर्दिष्ट रूप से दोषसिद्धि के आदेश पर रोक की ईप्सा करते हुए उन परिणामों को विनिर्दिष्ट करते हुए, जो तब उत्पन्न होंगे यदि दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगाई जाती है,

---

[1] (2007) 1 एस. सी. सी. 673.

[2] (1996) 5 एस. सी. सी. 329.

[3] (2001) 6 एस. सी. सी. 584.

[4] (2003) 12 एस. सी. सी. 432.

अर्थात्, अपीलार्थी निर्वाचन लड़ने के संबंध में निरर्हता उपगत करेगा, एक आवेदन फाइल किया गया था । उच्च न्यायालय ने विशेष कारण पर विचार करने के पश्चात्, दोषसिद्धि पर रोक लगाने वाला आदेश अनुदत्त किया । चूंकि दंडादेश के निष्पादन पर रोक लगाने की बजाय दोषसिद्धि पर ही रोक लगा दी गई है इसलिए प्रत्यर्थी की इस दलील को स्वीकार करना संभव नहीं है कि दोषसिद्धि के कारण उद्भूत होने वाली निरर्हता दोषसिद्धि पर रोक लगाने के पश्चात् भी प्रवर्तित बनी हुई है ।"

13. **लिली थॉमस** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस बात पर जोर दिया गया था कि धारा 8(4) के अभाव में, संसद् या राज्य विधान सभा के सदस्य के पास कोई उपचार नहीं रहेगा भले ही वह दोषसिद्धि तुच्छ थी । इस न्यायालय ने उक्त निवेदन को अस्वीकार करते हुए **[रविकांत पाटिल** (उपर्युक्त) वाले मामले का अवलंब लेते हुए] निम्न प्रकार अभिनिर्धारित किया :–

"उपर्युक्त मामले में, प्रत्यर्थियों द्वारा यह दलील दी गई थी कि अपीलार्थी अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (3) के अधीन विधान सभा का निर्वाचन लड़ने से निरर्हित था चूंकि उसे दंड संहिता की धारा 366 और 376 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया था और तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि चूंकि उच्च न्यायालय ने विशेष कारणों से दोषसिद्धि के संबंध में रोकादेश पारित कर दिया था इसलिए दोषसिद्धि के कारण उद्भूत निरर्हता दोषसिद्धि पर रोक लगाने के पश्चात् प्रवर्तनीय नहीं रही थी । अतः, अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1), (2) या (3) के अधीन निरर्हता संहिता की धारा 389 के अधीन अपील न्यायालय या संहिता की धारा 482 के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के रोकादेश की तारीख से प्रवर्तित नहीं होगी ।"[1]

14. इन विनिश्चयों द्वारा अपील के लंबित रहने तक अपील न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर रोक लगाने वाले आदेश के प्रभाव के

---

[1] यथोक्त – पृष्ठ 673.

संबंध में स्थिति स्थापित हो गई है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389 के अधीन दोषसिद्धि पर रोक लगाने से धारा 8 के अधीन निरर्हता प्रवर्तित नहीं होगी । **रविकांत पाटिल** (उपर्युक्त) और **लिली थॉमस** (उपर्युक्त) वाले विनिश्चयों द्वारा इस विवाद्यक का विनिश्चय हो गया है । **रामा नारंग** (उपर्युक्त) वाले विनिश्चय के पश्चात् यह सुस्थापित हो गया है कि अपील न्यायालय को किसी समुचित मामले में दंडादेश को निलंबित करने के अलावा धारा 389 के अधीन दोषसिद्धि पर रोक लगाने की शक्ति है । दोषसिद्धि पर रोक लगाने की शक्ति एक अपवाद के तौर पर है । इससे पूर्व कि इस शक्ति का प्रयोग किया जाए, अपील न्यायालय को उन परिणामों से अवश्य ही अवगत कराया जाना चाहिए, जो उस दशा में उत्पन्न होंगे यदि दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगाई जाती है । जैसे ही अपील न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर रोक लगा दी जाती है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), (2) और (3) के अधीन निरर्हता प्रवर्तित नहीं होगी । अनुच्छेद 102(1)(ङ) और अनुच्छेद 191(1)(ङ) के अधीन निरर्हता संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन प्रवर्तित होती है । धारा 8 के उपर्युक्त उपबंधों के अधीन निरर्हता सूचीबद्ध अपराधों में से किसी अपराध के संबंध में दोषसिद्ध किए जाने पर लागू होती है । जब किसी अपील के लंबित रहने के दौरान दोषसिद्धि पर रोक लगा दी जाती है तब वह निरर्हता जो दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप प्रवर्तित होती है, प्रभावी नहीं हो सकती या प्रभावी नहीं रह सकती । **रामा नारंग** (उपर्युक्त) वाले मामले में और उसका अनुसरण करने वाले विनिश्चयों में विधिक स्थिति के संगत कथन को ध्यान में रखते हुए, इस दलील में कोई सार नहीं है कि धारा 389 के अधीन अपील न्यायालय को प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत, किसी समुचित मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की शक्ति नहीं आती है । स्पष्टतः, अपील न्यायालय के पास ऐसी शक्ति नहीं है । इसके अलावा, यह असमर्थनीय है कि ऐसी निरर्हता, जो किसी दोषसिद्धि से उद्भूत होती है, अपील न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर रोक मंजूर करने के बावजूद भी प्रवर्तित होगी । अपील न्यायालय में दोषसिद्धि पर रोक लगाने के लिए निहित प्राधिकार से यह सुनिश्चित होता है कि असमर्थनीय या तुच्छ आधारों पर की गई दोषसिद्धि गंभीर प्रतिकूल

प्रभाव डालने के लिए प्रवर्तित नहीं होती है । जैसा कि **लिली थॉमस** (उपर्युक्त) वाले विनिश्चय में स्पष्ट किया गया है, दोषसिद्धि पर रोक लगने से व्यक्ति, अन्य बातों के साथ-साथ, धारा 8 की उपधारा (1), (2) और (3) के उपबंधों से संबंधित निरर्हता के परिणाम के भार से मुक्त हो जाएगा ।

15. अंततः, हम उस अनुतोष पर विचार करते हैं, जिसकी ईप्सा प्रार्थना खंड 5 में की गई है, जिसके द्वारा द्वितीय प्रत्यर्थी, विधि और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग में सचिव की मार्फत संघ सरकार को निदेश देने की ईप्सा की गई है । प्रार्थना खंड 5 निम्नलिखित रूप में है :–

> "5. प्रत्यर्थी सं. 2 को इस संबंध में परमादेश की प्रकृति की रिट, आदेश या निदेश जारी करना –
>
> (i) समस्त उच्च न्यायालयों के महा-रजिस्ट्रार/रजिस्ट्रार को इस बारे में एक परिपत्र जारी करना कि सभी जिला और सेशन न्यायाधीशों को यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त अनुदेश जारी किए जाएं कि संविधान के अनुच्छेद 102/191 के अधीन किसी आसीन संसद् सदस्य/विधान सभा सदस्य/विधान परिषद् के सदस्य की निरर्हता से संबंधित मामलों में के निर्णयों की दो प्रमाणित प्रतियां, दंडादेश के संबंध में आदेश के परिदान से 24 घंटे के भीतर राज्य के काउन्सेल को संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करने के लिए उपलब्ध कराई जाएं,
>
> (ii) राज्यों/संघ-राज्यक्षेत्रों के मुख्य सचिवों को, जिला मजिस्ट्रेटों और जिला सरकारी काउन्सेलों को इस संबंध में उपयुक्त अनुदेश जारी करने के लिए परिपत्र जारी करना कि दंडादेश से संबंधित निर्णय और आदेश की एक प्रमाणित प्रति, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को और दूसरी प्रमाणित प्रति संबंधित सदन (लोक सभा/राज्य सभा/विधान सभा/ विधान परिषद् के महासचिव/प्रधान सचिव/सचिव) को स्पीड

पोस्ट/विशेष दूत द्वारा भेजी जाए ।"

16. न्याय विभाग के सचिव द्वारा उच्च न्यायालयों के महा-रजिस्ट्रारों को ऐसा कोई निदेश जारी नहीं किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त, ई-न्यायालय परियोजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप, निर्णयों की प्रमाणित प्रतियां समस्त न्यायालयों को एक सुव्यवस्थित रीति में उपलब्ध कराई जाती हैं । भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा फाइल किए गए शपथपत्र से यह उपदर्शित होता है कि आयोग ने समस्त राज्यों के मुख्य सचिवों को यह सुनिश्चित करने के लिए पहले ही तारीख 13 अक्तूबर, 2015 को अनुदेश जारी किए जा चुके हैं कि दोषसिद्धि के आदेश की जानकारी सदन के यथास्थिति, सभापति या अध्यक्ष तथा राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को, आदेश पारित किए जाने से सात दिन की अवधि के भीतर देने के आवश्यक कदम उठाए जाएं । निर्वाचन आयोग को विधि के अनुसार समुचित कदम उठाने की पर्याप्त शक्ति प्राप्त है । इस संबंध में कोई अतिरिक्त निदेश देना आवश्यक नहीं है ।

17. तद्नुसार, रिट याचिका खारिज की जाती है । लंबित आवेदन का, यदि कोई है, तद्नुसार निपटारा किया जाता है । खर्चे के बारे में कोई आदेश नहीं किया जाता है ।

रिट याचिका खारिज की गई ।

ग्रो.